

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 31/12/2021 ई०।

13/पी2- 103/2021- 5028 /सी०, श्री आशीष बत्रा, भा०पु०से० (1997), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान-Level-15 of Pay Matrix) कोटि में इनसे कनीय श्री टी० कन्दासामी, भा०पु०से० (1997) को विभागीय अधिसूचना सं०- 5022 दिनांक- 31.12.2021 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/पी2- 103/2021- 5028 /

राँची, दिनांक- 31/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-13/पी2- 103/2021- 5028 /

राँची, दिनांक- 31/12/2021 ई०।

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA), सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष -सह- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/ संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

शैलेश
31.12.2021

सरकार के अवर सचिव।